उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या:-613/2021/आई/4269/ 41-1002(001)/9/2021-192 (बजट)/2021
लखनऊ दिनांक 12 नवम्बर, 2021
संख्या-512/2021/आई/107206/41-1002(001)/9/2021, दिनांक 13.10.2021

का शुद्धि पत्र

महानिदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-4030/6-1-1(1307)/2021-22, दिनांक 25 अक्टूबर 2021 द्वारा संसूचित वस्तुस्थिति के अनुसार जनपद गोरखनाथ मंदिर परिसर में लाईटिंग एवं अन्य कार्य हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-512/2021/आई/107206/41-1002(001)/9/2021, दिनांक 13.10.2021 में बिन्दु संख्या-02 में अंकित तालिका के चौथे कालम में प्रशासकीय स्वीकृति धनराशि रू0 172.71 लाख +जी0एस0टी0 अंकित है, किन्तु शब्दों में लिखी धनराशि रूपये एक करोड़ बहत्तर लाख इकहत्तर हजार के स्थान पर रूपये दो करोड़ चौबीस लाख सत्तानवे हजार मात्र अंकित हो गया है।

2. अत: एतद्द्वारा शासनादेश संख्या-512/2021/आई/107206/41-1002(001)/9/2021, दिनांक 13.10.2021 में बिन्दु संख्या-02 में अंकित तालिका के चौथे कालम में प्रशासकीय स्वीकृति धनराशि रू0 172.71 लाख +जी0एस0टी0 शब्दों में लिखी धनराशि (रूपये दो करोड़ चौबीस लाख सत्तानवे हजार मात्र) के स्थान पर ***प्रशासकीय स्वीकृति धनराशि रू0 172.71 लाख +जी0एस0टी0 शब्दों में धनराशि (रूपये एक करोड़ बहत्तर लाख इकहत्तर हजार मात्र)*** अंकित किया जाता है। तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 13.10.2021 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, गोरखनाथ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन, मु0 उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय,लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
9- इकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 विद्युत इकाई-2 गोरखपुर।
10- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7
11- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड फाइल।

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।